Share Department, Board & Coordination Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka, New Delhi-110075
Tel No: 011-28044857 E-mail: hosd@pnb.co.in

Scrip Code : PNB	**Scrip Code : 532461**
The Asstt. Vice President National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) **Mumbai – 400 051**	The Dy General Manager Bombay Stock Exchange Limited 1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, **Mumbai – 400 001**

Date: 17.02.2021

Dear Sir (s),

Reg.: Notice of the Extraordinary General Meeting (EGM) scheduled on Wednesday, 17th March, 2021.

Further to our intimation dated 05.02.2021, please find below the details in respect of the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of the Bank:

1	Date/ Time	Wednesday, 17th March, 2021 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)
2	Agenda/ Business	Election of One Shareholder Director from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, RBI's Master Directions, as amended and other applicable Directives / Guidelines issued by Regulatory Authorities.
3	Specified/ Cut-off Date	Friday, 19th February, 2021 for the purpose of determining the Shareholders eligible for nominating, contesting as candidate, attending the meeting and voting (including remote e-voting) at the EGM.
4	Last date for submission of nominations	Tuesday, 2nd March, 2021 by 04.00 p.m.
5	Period of Remote E-Voting	From Friday, 12th March, 2021 (09.00 a.m.) to Tuesday, 16th March, 2021 (05.00 p.m.).

The detailed notice of the EGM is enclosed.

You are requested to take the above on record.

Thanking you,
Yours faithfully,

(Ekta Pasricha)
Company Secretary
Encl. a/a

Together for the better

Notice of Extraordinary General Meeting

असाधारण आम बैठक की सूचना

Election of ONE Shareholder Director

एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव

Through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विज़ुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से

WEDNESDAY, 17th MARCH 2021 AT 11.00 A.M.

बुधवार, 17 मार्च 2021 को प्रातः 11.00 बजे

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon !

Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075

Together for the better

विषयसूची

	पृष्ठ सं.
नोटिस	3
टिप्पणियां	4-11
व्याख्यात्मक विवरण	12-26
नामांकन प्रपत्र	27
घोषणा और वचन	28-39

कार्यक्रम का आवश्यक कैलेंडर

प्रत्याशी के रूप में नामांकित करने, चुनाव लड़ने, ईजीएम में उपस्थित होने और चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के उद्देश्य से निर्दिष्ट तिथि / कट-ऑफ तिथि।	शुक्रवार, 19 फरवरी, 2021
नामांकन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	मंगलवार, 2 मार्च, 2021, सांय 04.00 बजे
नामांकन की जांच	बुधवार, 3 मार्च, 2021
नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन	वृहस्पतिवार, 11 मार्च, 2021
रिमोट ई-वोटिंग की अवधि	शुक्रवार, 12 मार्च, 2021, (प्रातः 09.00 बजे) से मंगलवार 16 मार्च, 2021, (सांय 05.00 बजे), तक
असाधारण आम बैठक की तिथि	बुधवार, 17 मार्च, 2021

Together for the better

CONTENTS

	Page No.
NOTICE	40
NOTES	41-49
EXPLANATORY STATEMENT	50-64
NOMINATION FORM	65-66
DECLARATION & UNDERTAKING	67-77

IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

Specified Date / Cut-off date for the purpose of determining the shareholders eligible for nominating, contesting the election, attending the EGM and voting in the Election.	Friday, 19th February, 2021
Last date for submission of Nomination Forms	Tuesday, 2nd March, 2021 by 04.00 p.m.
Scrutiny of Nominations	Wednesday, 3rd March, 2021
Last day of Withdrawal of Nominations	Thursday, 11th March, 2021 by 04.00 p.m.
Period of Remote E-Voting	From Friday, 12th March, 2021 (09.00 a.m.) to Tuesday, 16th March, 2021 (05.00 p.m.)
Date of Extraordinary General Meeting	Wednesday, 17th March, 2021

Together for the better

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक!

punjab national bank ...the name you can BANK upon!

प्रधान कार्यालय: प्लॉट नं.4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

(ईमेल आईडी**: hosd@pnb.co.in)**

नोटिस

एततद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक **बुधवार, 17 मार्च 2021, को प्रातः 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉंफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम)** के माध्यम से आयोजित होगी जिसमें निम्नलिखित कार्य किये जाएंगे:-

1. केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से **एक** निदेशक का चयन करने के लिए, जिनके संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बाद में जिसे " **बैंकिंग विनियम अधिनियम**" के रूप में संदर्भित किया गया") के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (बाद में इसे **"अधिनियम"** के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 9 (3) (i) के संदर्भ में वैध नामांकन प्राप्त होते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद यह "योजना" के रूप में संदर्भित) और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 (इसके बाद **"पीएनबी विनियम"** के रूप में संदर्भित) जो अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में बनाए गए, और पीएसबी के बोर्ड के निदेशकों के चुनाव के लिए 'फिट एंड प्रॉपर' मापदंड पर आरबीआई मास्टर निर्देश अधिसूचना संख्या डीबीआर.अपार्ट.सं.: 9 / 29.67.001 / 2019- 20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 के माध्यम से जारी किया (इसके बाद "**आरबीआई मास्टर निर्देश**" और इसमें आगे संशोधन के रूप में संदर्भित किया गया, यदि कोई हो) दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 और दिनांक 08 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में विचार के लिए जारी किया गया (इसके बाद **"भारत सरकार के दिशानिर्देश"** और इसके संशोधन, यदि कोई हो) और निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया:

"संकल्प किया जाता है कि संबंधित योजना, पीएनबी विनियमों, आरबीआई मास्टर दिशानिर्देशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अनुसार केंद्र सरकार के अतिरिक्त निदेशकों में से चुने गए एक निदेशक को बैंक के निदेशक के रूप में चुनाव के परिणाम की घोषणा के अगले दिन से कार्यालय संभालने के लिए नियुक्त किया जाता है और इस प्रकार कार्य संभालने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के पूरा होने तक पद धारण करेंगे"।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक
हस्ता/-
(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16.02.2021

टिप्पणियां:

1. कोविड-19 महामारी को देखते हुए, सामाजिक दूरी रखने के मानदंडों का पालन किया जाना है एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं.14/2020 दिनांक 08 अप्रैल 2020, परिपत्र सं.17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, परिपत्र सं.22/2020 दिनांक 15 जून 2020 परिपत्र सं.33/2020 दिनांक 28 सितंबर 2020 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपत्र सं.सेबी/प्र.का./सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2021/79 दिनांक 12 मई 2020 और सं.सेबी/प्र.का./सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/79 दिनांक 15 जनवरी 2021, जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण आम बैठक ('ईजीएम') के आयोजन करने की अनुमति देता है, के अनुसरण में बैंक के ईजीएम का संचालन वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके लिए किसी आम स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से असाधारण आम बैठक में शामिल होने वाले शेयरधारकों को पीएनबी विनियम के विनियम 58 के तहत कोरम की गणना के उद्देशय के लिए गिना जाएगा। ईजीएम के लिए विचारणीय स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय रहेगा।

2. **कार्यसूची से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।**

3. **प्रॉक्सी की नियुक्ति:** बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारक, स्वयं के अलावा किसी और को उपस्थित करने और मतदान करने हेतु एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए पात्र हैं और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त छूटों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक के आयोजन के लिए शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। तदनुसार शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा इस वार्षिक आम बैठक के लिए उपलब्ध नहीं है और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची को इस सूचना में संलग्न नहीं किया गया है।

4. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:**

कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक वीसी/ओएवीएम एवं/या ई-मतदान के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होने या मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रमाणित सत्यप्रति वित्त प्रभाग, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, पंजाब नैशनल बैंक, ईस्ट विंग, प्रथम तल, प्लॉट सं.4, सेक्टर 10, द्वारका नई दिल्ली - 110075 में, अथवा संवीक्षक को ई-मेल Scrutinizer@snaco.net पर भेज दी जाए और इसकी प्रति evoting@nsdl.co.in और hosd@pnb.co.in पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात **शुक्रवार, 12 मार्च 2021 को सांय 5.00 बजे** से पहले अवश्य जमा करा दी जाए।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5. विशिष्ट/कट-ऑफ तिथि:

शुक्रवार, 19 फरवरी 2021 को चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया गया है, अर्थात केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से किसी एक निदेशक के चुनाव के लिए नामित, चुनाव लड़ने और वोट करने के लिए, जैसा कि नोटिस में उल्लेख किया गया है।

6. मतदान का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 3 (2 ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक उसके शेयरों के सम्बन्ध में बैंक के शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के 10% से अधिक मताधिकार हेतु पात्र नहीं होगा|

यदि कोई भी शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में जिसका नाम पहले है उसे एकमात्र धारक माना जाएगा |

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014, यथा संशोधित, के नियम 20 के अनुसार जो शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने का पात्र है, वे अपने वोट का प्रयोग इलैक्ट्रानिक साधन के माध्यम से कर सकते हैं।

7. इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से वोटिंग

I. सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियम 44, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसरण में और कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 , यथासंशोधित, के नियम 20 के प्रावधान जो एमसीए परिपत्रों के साथ पठित है, की अनुपालना में बैंक अपने शेयरधारकों को ईजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में आम बैठक में इलैक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान (रिमोट ई-वोटिंग और ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग) करने की सुविधा दे रहा है और यह सुविधा नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से दी जा रही है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि 19 फरवरी 2021, शुक्रवार है|

II. वे शेयरधारक, जो वीसी/ ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने सुदूर ई-वोटिंग के माध्यम से चुनाव में अपना वोट नहीं दिया है, वह वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

III. जिन शेयरधारकों ने बैठक से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे पुनः अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

IV. रिमोट ई वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार है :-

(i) रिमोट ई वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 12 मार्च 2021 से (प्रात: 9.00 बजे) से शुरू होगी और मंगलार, 16 मार्च 2021 (सायं 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी । इस अवधि के दौरान, कट ऑफ तिथि 19

फरवरी 202 1 के अनुसार, बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारण करते हो या डिमेटेरियालाइज्ड रूप में, वे इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। ई वोटिंग के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग माडयूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

(ii) रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और विधि का विवरण नीचे दिया गया है:

चरण 1: शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर लॉग ऑन करना होगा
चरण 2: शेयरधारक को तब एनएसडीएल वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालना होगा|

चरण 1 का विवरण नीचे वर्णित है :
एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?
1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्न यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें |

2. एक बार ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद, 'लॉगइन' आइकॉन पर क्लिक करें जोकि 'शेयरहोल्डर्स' अनुभाग के तहत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी यूजर आईडी, अपना पासवर्ड और स्क्रीन पर दर्शाया गया सत्यापन कोड दर्ज करना होगा |

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सेवाओं यानी, आइडियाज के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉगिन के साथ *https://eservices.nsdl.com* पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एनएसडीएल की ई-सेवाओं में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। आप एनएसडीएल के मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं |

4. आपके यूजर आईडी का विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर धारित करने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	**आपका यूजर आईडी है:**
क) एनएसडीएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए	8 अंकों के डीपी आईडी के बाद 8 कैरेक्टर की ग्राहक आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12****** होगा
ख) सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी

	12********** है तो आपका यूजर आई 12********** होगा
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए	इवन नंबर के बाद बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर, उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और इवन 101456 है तो यूजर आई 101456001*** होगा

5. आपका पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:
   क. यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं।
   ख. यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं, तो आपको 'इनिशियल पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा, जो आपको भेजा गया था। एक बार जब आप अपना 'इनिशियल पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'इनिशियल पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए संकेत देगा।
   ग. अपना 'इनिशियल पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें**?**
   (i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या बैंक में पंजीकृत है, तो आपका 'इनिशियल पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर आपको भेजा जाता है। अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल से भेजे गए ईमेल को ढूंढें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात् पीडीएफ फ़ाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए पीडीएफ फ़ाइल को खोलने का पासवर्ड आपकी 8 अंकों की ग्राहक आईडी है, सीएसडीएल खाते के लिए ग्राहक क्लाइंट आईडी का अंतिम 8 अंक या भौतिक शेयरों के लिए फ़ोलियो नंबर पासवर्ड होगा। पीडीएफ फ़ाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'इनिशियल पासवर्ड' दिए गए हैं।
   (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया 'उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं' के तहत दिए गए चरणों का पालन करें।

6. यदि आप अपना 'इनिशियल पासवर्ड" पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या प्राप्त नहीं हुआ है या भूल चुके हैं:
   क. www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प 'Forgot User Details/Password?' पर क्लिक करें। (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं) ।
   ख. "Physical User Reset Password?" विकल्प (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है ।
   ग. यदि आप अभी भी उक्त दो विकल्पों के द्वारा पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट अकाउंट नंबर/फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करके अनुरोध भेज सकते हैं।
   घ. शेयरधारक एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर 'Terms and Conditions' पर Agree पर टिक करें।
8. अब, आपको, 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करना होगा।
9. 'लॉगिन'' बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2 का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट कैसे डालें?

1. चरण 1 पर सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। फिर, एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करें।
2. एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करने के बाद, आप सभी कंपनियों को 'EVEN' देख पाएंगे, जिसमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिनका वोटिंग साइकिल सक्रिय स्थिति में है।
3. बैंक का 'EVEN' चुनें।
4. अब आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं क्योंकि आपका वोटिंग पेज खुल गया है।
5. अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चयन करके आप अपना वोट डालें, और, "सबमिट" पर क्लिक करे एवं अपने वोट को "कंफर्म" करें। आप एक उम्मीदवार से अधिक का चयन नहीं कर सकते हैं|
6. पुष्टि करने के बाद, "सफलतापूर्वक वोट डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।
7. आप पुष्टि पृष्ठ के प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
8. एक बार संकल्प पर अपना वोट डालने के बाद, आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात, व्यक्तियों एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को बोर्ड के संकल्प जिसमें उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया हो, जो मत देने हेतु प्राधिकृत, विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षरों के साथ स्कैन की गई प्रमाणित मूल प्रति संवीक्षक को ईमेल evoting@nsdl.co.in और hosd@pnb.co.in पर (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप में) भेजनी होगी, और इसकी प्रति Scrutinizer@snaco.net पर भेजे।

2. यह दृढ़तापूर्वक अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड डालने के लिए पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध 'Forgot User Details/Password?' or 'Physical User Reset Password?'' विकल्प पर जाना होगा।

3. किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को संदर्भित कर सकते हैं और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका या टोल फ्री नंबर: 1800-1020-990 पर कॉल कर सकते हैं या निम्न को अनुरोध कर सकते है:

i) सुश्री सोनी सिंह, उप प्रबंधक, एनएसडीएल को विनिर्दिष्ट ईमेल आईडी: evoting@nsdl.co.in या SoniS@nsdl.co.in या टेलीफोन नंबर: +91-22-24994559 या

ii) सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, एनएसडीएल को विनिर्दिष्ट ईमेल आईडी: evoting@nsdl.co.in, pallavid@nsdl.co.in या टेलीफोन नंबर +91 22 2499 4545 पर।

v. इस नोटिस में नियत किए गए संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया ऐसे शेयरधारकों के लिए ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं:

क. वे शेयरधारक, जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं या जिन्होंने बैंक के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है और जो ईजीएम में भाग लेना चाहते हैं या दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से या बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डालनाचाहते हैं, वे फ़ोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे) के साथ पैन कार्ड की स्व सत्यापित स्कैन कॉपी बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को बीटल beetal@beetalfinancial.comपर भेजकर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

ख. डीमैट मोड में शेयर होने की स्थिति में, शेयरधारक डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी) नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति के साथ स्कैन किए गये पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट को beetal@beetalfinancial.comपर भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

8. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य-श्रव्य साधन (ओएवीएम)

बैंक एनएसडीएल की वेबसाइट पर वार्षिक असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की कार्यवाहियों की लाइव स्ट्रीमिंग देखने की सुविधा प्रदान करेगा। आप अपने दूरस्थ ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके https://www.evoting.nsdl.com पर इसे एक्सेस कर सकते हैं। लिंक शेयरधारक लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां बैंक का ईवन प्रदर्शित किया जाएगा।

शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए, वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैंक के ईजीएम में शामिल हो सकते हैं, जिसे शेयरधारकों के लिए सुबह 10:30 बजे से अर्थात ईजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुला रखा जाएगा।

शेयरधारक नोट करें कि एनएसडीएल द्वारा दी गई वीसी/ओएवीएम सुविधा कम से कम 1000 सदस्यों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भाग लेने की अनुमति देती है| बैंक में शेयरपूंजी के 2% या अधिक शेयर रखने वाले शेयर धारक, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षकों, आदि ईजीएममें पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के भाग ले सकते हैं।

i. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:

क. शेयरधारक दूरस्थ ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके और बैंक ईजीएमके लिए ईवन का चयन करके https://www.evoting.nsdl.com पर शेयरधारकों हेतु लॉगिन के तहत एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएममें भाग लेने में सक्षम होंगे। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय पर भाग दौड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, शेयरधारक एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में लॉगिन हेतु ओटीपी आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

ख. शेयरधारक बेहतर अनुभव हेतु लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने हेतु एक अच्छी गति के साथ इंटरनेट और कैमरे की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेटों या लैपटॉप आदि के

माध्यम से जुड़ने वाले शेयरधारक मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट करने पर अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का सामना कर सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की उक्त रुकावट को कम करने हेतु स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

ग. शेयरधारक अपने पंजीकृत ईमेल पते से ईजीएममें किए जाने वाले कार्य के संबंध में बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले अर्थात 15 मार्च, 2021 को सुबह 11:00 बजे तक अपने नाम, डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर/फ़ोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए बैंक के ईमेल पते hosd@pnb.co.inपर अपने प्रश्न अग्रिम रूप से भेज सकते हैं। जो शेयरधारक ईजीएम में दिए जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में ईजीएम के दौरान विचार प्रकट करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करने हेतु अपना नाम, डीपीआई, ग्राहक आईडी संख्या/फोलियो संख्या और मोबाइल नं. देते हुए अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना अनुरोध ईजीएमके शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पूर्व अर्थात 15 मार्च, 2021को सुबह 11:00 बजे तक या इससे पहले ईमेल पते hosd@pnb.co.in पर कर सकते हैं| जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें ही केवल बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। वीसी/ ओएवीएम के माध्यम ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारक प्रश्न बॉक्स विकल्प के माध्यम से प्रश्न/फीडबैक भेज सकते हैं। बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा इस तरह के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर बैंक द्वारा ईजीएम तिथि से 7 दिनों के भीतर दिया जाएगा|

घ. संस्थागत निवेशक, जो बैंक के शेयरधारक हैं, से अनुरोध किया जाता है कि वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएममें उपस्थित हों।

II. ईजीएमके दौरान ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार है:

क. शेयरधारक ईजीएमके दौरान ई-वोटिंग के लिए उसी प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं जैसा कि दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिया गया है।

ख. शेयरधारक जिन्होंने ईजीएमसे पहले दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा संकल्पों पर अपना वोट डाला है, वे ईजीएममें वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से वे अपना वोट डालने के पात्र नहीं होगें।

ग. ईजीएमसे पूर्व या इसके दौरान, तकनीक के प्रयोग के लिए सहायता प्राप्त करने के इच्छुक शेयरधारक द्वारा संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों को हेल्पलाइन विवरण वही होगा जो कि रिमोट ई-वोटिंग के लिए दिया गया है|

9. संवीक्षक

मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यम एवं कंपनी, कंपनी सचिव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए बैंक द्वारा संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक (ईजीएम) के समापन के 48 घंटे के अन्दर बैठक के अध्यक्ष को दिए गए कुल मतों पर एक समेकित संवीक्षककर्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति लिखित रूप में उक्त पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे तथा स्टॉक एक्सचेंज और बैंक की वेबसाइट पर समेकित संवीक्षककर्ता की रिपोर्ट के साथ परिणाम प्रस्तुत करते हुए तुरंत मतदान के परिणाम घोषित करेगा।

10. अन्य सूचना

क) सेबी के पूर्व कथित परिपत्र के अनुपालन में, बैंक की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की सूचना, अन्य बातों के साथ-साथ, ई-वोटिंग आदि की प्रक्रिया और विधि का संकेत बताते हुए, केवल उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित की जा रही है, जिनकी ईमेल आईडी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए) अर्थात "बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्रा०) लिमिटेड"/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (ओं) के साथ पंजीकृत हैं।

ख) शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि ईजीएमकी सूचना बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.comऔर www.nseindia.comपर तथा NSDL की वेबसाइट अर्थात https://www.evoting.nsdl.comपर भी उपलब्ध है।

ग) बैंक द्वारा किए गए 'हरित पहल' (ग्रीन इनिशिएटिव्स) को ध्यान में रखते हुए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ औरभौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, अपने बैंक के एसटीए के साथ(STA की ईमेल आईडी: beetal@beetalfinancial.com)अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करवाएं।इसके अलावा, परिवर्तनों के मामले में, यदि कोई हो, तो उनके नाम, डाक पते, ईमेल पते, टेलीफोन / मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकनों, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि, से संबंधित परिवर्तन को, यदि कोई हो, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपने डीपी को सूचित किया जा सकता है तथा भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपने एसटीए को सूचित किया जा सकता है।

घ) ऐसे शेयरधारक जिनके पास समान नामों में या संयुक्त नामों में कई फोलियों में शेयर भौतिक रूप में रखे हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्रों को एकल फोलियो में समेकन के लिए एसटीए को भेजें।

ङ) सेबी (सूचीबद्धता, बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 40 के अनुसार, यथासंशोधित, सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियों को, प्रतिभूतियों के ट्रांसमिशन या ट्रांस्पोजिशनहेतुप्राप्त अनुरोध के मामले को छोड़कर, 1 अप्रैल, 2019 से केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे देखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए एवं पोर्टफोलियो प्रबंधन की सुगमताहेतु, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग्स को अमूर्त रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। शेयरधारक इस संबंध में सहायता के लिए बैंक या बैंक के एसटीए से संपर्क कर सकते हैं|

व्याख्यात्मक कथन:

एक शेयरधारक निदेशक का चयन

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के अनुसार निदेशक मंडल आम बैठक में उनके शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अलावा) द्वारा चयनित निदेशकों को शामिल करेगा| शेयरधारकों द्वारा चयनित किये गए ऐसे निदेशकों की संख्या निम्नानुसार होगी:

- एक निदेशक, जहाँ सार्वजनिक शेयरधारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 16 प्रतिशत से अधिक नहीं है;
- दो निदेशक, जहाँ सार्वजनिक शेयरधारिता 16 प्रतिशत से अधिक है लेकिन कुल प्रदत्त पूंजी के 32 प्रतिशत से अधिक नहीं है;
- तीन निदेशक, जहाँ सार्वजनिक शेयरधारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 32 प्रतिशत से अधिक है;

दिसंबर 2020 में योग्य संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के माध्यम से इक्विटी शेयरों के जारीकरण और आबंटन के परिणामस्वरूप, बैंक में सार्वजनिक हिस्सेदारी 14.41% से बढ़कर 23.13% हो गई है और इस तरह से बैंक द्वारा केंद्र सरकार के अलावा, अन्य शेयरधारकों द्वारा दो निदेशकों का चयन किया जाना अपेक्षित है।

डॉ० आशा भंडारकर वर्तमान में बोर्ड में एक निदेशक हैं, केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अन्य रिक्ति को भरने की दृष्टि से, बैंक ईजीएम में चुनाव कराने का प्रस्ताव रखता है।

इसलिए शेयरधारक (केंद्र सरकार के अलावा) प्रासंगिक अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना / दिशानिर्देशों में विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने के हकदार हैं।

1. कानूनी प्रावधान

संबंधित अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना/दिशानिर्देश के प्रासंगिक सार/ अंश यहां पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

अधिनियम/ योजना/ विनियम /अधिसूचना	**प्रावधान**	**संक्षिप्त विवरण**
बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन से ई) धारा 16 (1) धारा 20	▪ पर्याप्त ब्याज ▪ आम निदेशकों का निषेध ▪ किसी भी निदेशक को या की ओर से ऋण या अग्रिम देने के लिए प्रतिबंध।
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2 ई) धारा 9(3) (i) धारा 9(3ए)(ए) से (सी) धारा 9 (3एए) एवं धारा 9 (3एबी)	▪ वोटिंग अधिकार पर प्रतिबन्ध ▪ शेयरधारकों द्वारा चयनित निदेशकों की संख्या ▪ कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान ▪ निदेशक के रूप में चयनित होने के लिए कोई व्यक्ति तब तक पात्र नहीं होगा जब तक

	धारा 9 (3बी) धारा 13 (2)	वह व्यक्ति यथा निर्धारित आरबीआई के ट्रैक रिकॉर्ड, अखंडता और ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर 'फिट और उचित' स्थिति वाला नहीं है। ▪ इस प्रकार निर्वाचित निदेशक को हटाने के लिए आरबीआई का अधिकार जो उक्त अधिनियम की धारा 9 (3 ए) और 9 (3 एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। ▪ निष्ठा और गोपनीयता के रूप में दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11बी खंड 12(8)	▪ चयनित निदेशकों के कार्यालय की अवधि ▪ निदेशक के रूप में चुने जाने या बैंक के निदेशक होने के नाते से अयोग्यता ▪ निदेशक के कार्यालय का विश्रामावकाश ▪ निर्वाचित निदेशक के पद से हटाया जाना ▪ निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति को भरना ▪ निदेशकों द्वारा कुछ व्यवस्थाओं मेंहित का प्रकटीकरण जिसमें वे रुचि रखते हैं।

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) अधिनियम, 2000	अधिनियम 10 अधिनियम 61 अधिनियम 63 अधिनियम 64 अधिनियम 65 अधिनियम 66 अधिनियम 67 अधिनियम 68 अधिनियम 69 अधिनियम 70	▪ संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग ▪ साधारण बैठकों में वोटिंग ▪ साधारण बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक ▪ शेयरधारकों की सूची ▪ चयन हेतु उम्मीदवारों का नामांकन ▪ नामांकनों की जाँच ▪ चुनाव विवाद ▪ मतदान अधिकारों का निर्धारण ▪ विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान ▪ प्रोक्सी
आरबीआई (पीएसबी के मंडल पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'फिट एवं उचित' मानदंड) दिशानिर्देश, 2019 - DBR.Appt.No:9/29.67.001 /201920दिनांक 02.08.2019 और उसके उत्तरवर्ती संशोधन	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3AA) और धारा 9 (3AB) के अनुसार	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मंडलों पर चयनित निदेशकों के लिए फिट एवं उचित मानदंड
भारत सरकार द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए जारी दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 और उत्तरवर्ती संशोधन दिनांक 08 जुलाई, 2016, भारत सरकार के पत्रों दिनांक 28 अप्रैल 2015 और 20 जुलाई, 2016 के साथ पठित और उसमें किये गए संशोधन, यदि कोई हो,।	भारत सरकार के 3 सितंबर, 2013 की अधिसूचना के अनुसार, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के तहत शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए उम्मीदवारों की फिट और उचित स्थिति का निर्धारण करते समय इन दिशानिर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा।	

आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई 2015	निदेशकों के संबंधियों को ऋण एवं अग्रिम देना|
सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015	स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान|

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, अधिनियम के प्रासंगिक सार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, योजना, पीएनबी विनियमों के साथ-साथ पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त तथा उचित' मानदंड पर आरबीआई द्वारा दिनांक 02 अगस्त, 2019 को जारी मास्टर निदेश, यथा संशोधित तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.co.in पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे | कंपनी सचिव, पंजाब नैशनल बैंक को संबोधित अनुरोध hosd@pnb.co.in पर नामांकन फॉर्म जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात् **मंगलवार, 02 मार्च, 2021 को सायं 04.00 बजे तक** प्राप्त होने पर ये सार इच्छुक उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से भी भेज दिए जाएंगे |

2. चुनाव में भागीदारी

ऐसे शेयरधारक जिनका नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों /लाभार्थी स्वामियों की बही में निर्दिष्ट/अंतिम तिथि अर्थात् शुक्रवार, 19 फ़रवरी, 2021 को शामिल पाया जाता है तो वे केंद्र सरकार के शेयरधारकों को छोड़कर अन्य शेयरधारकों में से एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव में भाग लेने हेतु अर्थात् नामांकन भरने, चुनाव लड़ने तथा मतदान करने के लिए पात्र होंगे |
यह नोट करें कि केंद्र सरकार निदेशक के चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र नहीं है लेकिन ईजीएम में प्रेक्षक के रूप में उपस्थित हो सकते हैं।

3. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक योग्यताएं

i) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार, कोई उम्मीदवार बैंक का शेयरधारक होने के नाते तथा जो अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की इच्छा रखता है, उसके पास:

क. निम्नलिखित मामलों में से एक या अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए: -

- कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- अन्य किसी मामले में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के विचार से बैंक के लिए उपयोगी होगा |

[आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवम्बर, 2016 के माध्यम से यह अधिसूचित किया है कि (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान तथा निपटन प्रणाली (iii) मानव संसाधान (iv) जोखिम प्रबंधन (v) व्यावसायिक प्रबंधन से संबंधित विषयों या क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना किसी बैंकिंग कंपनी, भारतीय स्टेट बैंक, अनुषंगी बैंक तथा नए संपर्की बैंक (पीएसबी), जो भी हो, के लिए उपयोगी होगा ।]

ख. जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; या

ग. किसानों, मजदूरों तथा कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो ।

ii) अधिनियम की धारा 9 (3एए) के अनुसार, बैंक का शेयरधारक होने के नाते कोई उम्मीदवार जो बैंक का निदेशक होना चाहता है उसकी स्थिति 'उपयुक्त और उचित' होनी चाहिए ।

iii) अधिनियम की धारा 9 (3एबी) के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक उप धारा 3(एए) के तहत् जारी अधिसूचना में 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने वाला प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण के तरीके, ऐसे निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा इनके अतिरिक्त अन्य ऐसे मामले, जिन्हें आवश्यक या आकस्मिक माना जा सकता है, निर्दिष्ट कर सकता है|

iv) इसके अतिरिक्त, चयनित निदेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना चाहिए तथा उनके द्वारा इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित वार्षिक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ।

4. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने से अयोग्य करार दिया जाना

i) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 10 के अनुसार एक व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु अयोग्य करार दिया जाएगा:

a) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया है या उसने भुगतान रोक दिया है या लेनदारों से मिलीभगत कर ली हो; या

b) अगर वह मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया है और किसी सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

c) यदि उसे दंड न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें नैतिक रूप से भ्रष्ट होना भी शामिल है; या

d) यदि वह बैंक के कर्मचारियों के बीच से अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) एवं (एफ) के तहत् नामित प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशकों का पद छोड़कर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत् गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक), अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करता है ।

ii) यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश (पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त तथा उचित' मानदंड) दिनांक 02 अगस्त, 2019 तथा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2015 तथा 08 जुलाई, 2016 को जारी दिशा-निर्देश,

भारत सरकार की अधिसूचना 3 सितंबर, 2013 तथा इसके अतिरिक्त तदंतर किए गए संशोधन, यदि कोई हो, के साथ पठित, के अनुसार 'उपयुक्त तथा उचित' नहीं पाया जाता है |

5. कार्यकाल

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार, निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्षों के लिए रहेगा तथा वह पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा |

बशर्ते कोई भी निदेशक लगातार छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा|

6. मास्टर निदेश (पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त तथा उचित' मानदंड), निदेश, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3ए(ए) के तहत् दी गई शक्तियों का प्रयोग कर दिनांक 02 अगस्त, 2019 को पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त तथा उचित' मानदंड पर मास्टर निदेश जारी किया है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3)(i) के प्रावधानों के तहत् बैंकों के बोर्ड पर निदेशकों के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले निर्दिष्ट 'उपयुक्त तथा उचित' मानदंड दिए गए हैं |

'उपयुक्त तथा उचित' स्थिति आदि का निर्धारण करने हेतु प्राधिकारी, तरीका/प्रक्रिया और मानदंड निम्नानुसार हैं:

i) **प्राधिकारी**: बैंक द्वारा एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति [समिति] का गठन करना आवश्यक है जिसमें निदेशक मंडल के बीच से न्यूनतम तीन गैर-कार्यकारी निदेशक हों, जिनमें से आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे तथा इसमें, अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत् निदेशकों के रूप में निर्वाचित जाने के लिए व्यक्तियों की 'उपयुक्त और उचित' स्थिति का निर्धारण करने के लिए समुचित सावधानी बरतने हेतु निदेशक मंडल की जोखिम प्रबन्धन समिति से कम से कम एक सदस्य शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार का नामिती निदेशक तथा अधिनियम की धारा 9(3)(सी) के तहत् नामांकित निदेशक इस समिति का हिस्सा नहीं होंगे | बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वे इस समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे | समिति की निर्दिष्ट संख्या अध्यक्ष सहित तीन होगी |

ii) **तरीका और प्रक्रिया**: बैंक चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी तथा एक घोषणा पत्र और वचन पत्र लेगा | नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक नामांकन की स्वीकृति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद होगी तथा नीचे उल्लिखित मानदंडों के आधार पर समिति यह निर्धारित करेगी कि व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकार की जाएगी या नहीं | हस्ताक्षरित घोषणा पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर समिति उम्मीदवारी के स्वीकरण पर विचार करेगी तथा जहाँ आवश्यक लगे वहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए कि उम्मीदवार निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पुष्टि करता है, उपयुक्त प्राधिकारी/व्यक्तियों को संदर्भित करेगी|

iii) **मानदंड**: नामांकन और पारिश्रमिक समिति यहाँ नीचे उल्लिखित व्यापक मानदंड के आधार पर प्रस्तावित उम्मीदवारों की 'उपयुक्त तथा उचित' स्थित का निर्धारण करेगी:

- **आयु** – उम्मीदवार की आयु चुनाव हेतु नामांकन जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि को 35 से 67 वर्ष के मध्य होनी चाहिए |

शैक्षणिक योग्यता – उम्मीदवार को कम से कम स्नातक होना चाहिए |

- **अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र –** आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवम्बर, 2016 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3ए)(ए) में दिए गए एक या अधिक मामलों के संबंध में उम्मीदवार को विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए|

- **अयोग्यता** - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 10 के तहत् यथा निर्धारित 'निदेशकों की अयोग्यता' के अतिरिक्त:

a) उम्मीदवार किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) या किसी बीमा कम्पनी या किसी अन्य बैंक द्वारा धारित नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए |

स्पष्टीकरण *: इस उप-परिच्छेद तथा उप-परिच्छेद (सी) के उद्देश्य के लिए, 'बैंक' शब्द में बैंकिंग कंपनी, नया संपर्की बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होगा|*

b) किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार देने, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में निर्वाचित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा | तथापि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यदि वे किसी प्रबंधकीय नियंत्रण का लाभ नहीं उठाते हैं |

c) बैंक के बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव/फिर से चुनाव नहीं किया जा सकता है, यदि उसने किसी बैंक/वित्तीय संस्था/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में किसी भी श्रेणी के तहत् लगातार या अनिरंतर रूप से छः वर्षों के लिए निदेशक के रूप में कार्य किया हो|

d) उम्मीदवार को स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिए |

e) उम्मीदवार को संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) के सदस्य के पद पर नहीं होना चाहिए|

f) उम्मीदवार ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य करने वाला नहीं होना चाहिए जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में संलग्न हैं।

g) उम्मीदवार ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य करने वाला नहीं होना चाहिए जो ऐसे बैंक के सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षक या समवर्ती लेखा-परीक्षक के रूप में संलग्न नहीं हैं, जिसमें चुनाव हेतु नामांकन दाखिल किया गया है |

- **कार्यकाल:** निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद धारण करेगा और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होगा: बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक लगातार या अनिरंतर रूप से 6 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा |
- **व्यवसाय से संबंधित प्रतिबन्ध –**
  a) उम्मीदवार का संबंधित बैंक के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) होना चाहिए और न ही उसे ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उस बैंक के साथ व्यापारिक हित में टकराव हो सकते हैं।
  b) उम्मीदवार का किसी बैंक या किसी भी अन्य बैंक द्वारा धारण किए जाने वाले एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होना चाहिए|
  c) बशर्ते चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय बैंक के साथ इस तरह के संबंध रखने वाले उम्मीदवार को मद (ख) के तहत् अपेक्षाएं पूरी करने वाला तभी माना जाएगा, जब उम्मीदवार उम्मीदवार नामांकन और पारिश्रमिक समिति को एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे कि निदेशक के रूप में चुने जाने पर बैंक के साथ इस तरह के संबंध को अलग कर दिया जाएगा तथा निर्वाचित होने पर बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पूर्व ऐसे संबंध से खुद को अलग कर लेंगे |
- **ट्रैक रिकॉर्ड और सत्यनिष्ठा:** उम्मीदवार किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं होना चाहिए तथा किसी भी उधार देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए|

iv) बैंक निर्वाचित निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त करेंगे:

a) ऐसे व्यक्ति द्वारा निदेशक का पद ग्रहण करने से पूर्व निर्धारित प्रारूप में संलग्न प्रारूप में निष्पादित प्रसंविदा विलेख |
b) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को इस आशय की एक सामान्य घोषणा कि इस तरह के व्यक्ति द्वारा पहले से उपलब्ध कराई गई जानकारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है |
c) जहां निर्वाचित निदेशक सूचित करता है कि पहले दी गई जानकारी में परिवर्तन है, बैंक ऐसे निदेशक से एक नया घोषणा और शपथपत्र प्राप्त करेगा जिसमें परिवर्तन शामिल होंगे।

v) बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त,

a) निर्वाचित सीए निदेशक/उसकी फर्म के ग्राहकों के उचित प्रकटीकरण सहित सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली बनाएंगे तथा बैंक के ऋण/निवेश निर्णयों में भाग नहीं लेंगे, जिसमें उसके/फर्म के ग्राहक शामिल हैं। निर्वाचित सीए निदेशक को पूरी प्रक्रिया से खुद को अलग रखना होगा तथा इससे संबंधित प्रसंविदा पर हस्ताक्षर करना होगा |
b) निर्वाचित निदेशक द्वारा व्यावसायिक संस्थाओं में अपने हितों और डायरेक्टरशिप का पूर्ण और उचित खुलासा करना अपेक्षित है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से दूरी बनाकर रखनी है तथा उन संस्थाओं जिनके वे हितधारक हैं, सहित बैंक के ऋण/निवेश संबंधी निर्णयों में भाग नहीं लेंगे|

c) किसी ऐसे व्यक्ति को कोई व्यावसायिक कार्य आवंटित न करें, जो ऐसे निदेशक का पद छोड़ने के पश्चात् दो वर्षों की अवधि के लिए उस बैंक का निर्वाचित निदेशक था |

vi) जहाँ निर्वाचित निदेशक:

a)

(i) प्रसंविदा विलेख या घोषणा पत्र जमा करने में असफल रहता है; या

(ii) उचित प्रकटीकरण करने में असफल रहता है;या

(iii) ऋण/निवेश निर्णयों में भाग लेने से बचने में असफल रहता है, जिसमें वे रुचि रखते हैं; या

b) अपूर्ण या गलत प्रकटीकरण करते हैं, या

c) ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं जिसके कारण उन्हें उपर्युक्त उल्लिखित मानदंड के अनुसार 'उपयुक्त और उचित' नहीं पाया जाता है |

ऐसे निदेशक के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है तथा इसके परिणामों के लिए वे उत्तरदायी होंगे |

7. भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 जनवरी 2021

भारत सरकार ने अधिसूचना दिनांक **25** जनवरी **2021** के माध्यम से एक विशेष प्रावधान (खंड14ए) जोड़ते हुए, राष्ट्रीयकृत बैंक योजना **, 1970/1980** में संशोधन किया है (प्रबंधन और विविध प्रावधान) जिसमें उल्लिखित है कि:

"जहाँ किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से विधि द्वारा कोई कार्रवाई या बात करने की अपेक्षा है और ऐसा करने के लिए बैंक के बोर्ड की किसी समिति की सिफारिशों या अवधारण, या उसके द्वारा प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान, या किसी नियुक्ति, उसके संबंध में उसके अनुमोदन या पुनर्विलोकन की अपेक्षा है, और यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समिति का, ऐसी समिति में कोई रिक्ति विद्यमान होने अथवा उसके किसी सदस्य के इससे अलग होने के कारण बैठक के लिए गणपूर्ति पूरी नहीं हो सकती है तो बोर्ड उक्त कार्रवाई अथवा बात को कर सकेगा|"

उपर्युक्त के अनुसार निदेशक मंडल को कोई कार्य करने के लिए , या प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए या किसी भी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा के संबंध में, जो विधि द्वारा किया जाना अपेक्षित है, बोर्ड की समिति की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शक्ति प्राप्त है, बशर्ते बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी समिति में कोई रिक्ति होने या उसके सदस्य द्वारा इंकार करने के कारण ऐसी समिति की बैठक का कोरम पूरा नहीं हो सकता है ।

8. भारत सरकार के दिनांक 25 मार्च, 2015 तथा 08 जुलाई, 2016 के दिशा-निर्देश

भारत सरकार के दिनांक **3** सितंबर, **2013** के पत्र के माध्यम से जैसीकि दी गई सलाह के अनुसार बोर्ड की 'नामांकन और पारिश्रमिक समिति' शेयरधारक निदेशक की 'उपयुक्त तथा उचित स्थिति' का निर्धारण करते समय गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेंगी | भारत सरकार ने दिनांक 25 मार्च, 2015 को जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देश, तथा दिनांक 08 जुलाई, 2016 को किए गए संशोधन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिनांक 28 अप्रैल, 2015 तथा 20 जुलाई, 2016 के पत्रों के माध्यम से अग्रेषित किया है, जिसका सार निम्नानुसार है:

क) सामान्य

i. नामांकन संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे|

ii. नामंकितियों की उपयुक्तता का आंकलन औपचारिक योग्यता और विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा आदि के अनुसार की जा सकती है | सत्यनिष्ठा और उपयुक्तता का आंकलन करने हेतु, आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति की जानकारी, व्यक्तिगत ऋण लेने के लिए की गई नागरिक कार्यवाही, पेशेवर निकायों से प्रवेश या निकासी से इनकार, नियामकों और समान निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों तथा पूर्व संदेहास्पद कारोबारी गतिविधियों आदि पर भरोसा किया जाएगा |

ख) अनुभव

i. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहयोग, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्रों में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर सामान्य रूप से विचार किया जाएगा। एक वरिष्ठ पद पर 20 साल के उद्योग का अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञ (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व किया, एक असफल संगठन में परिवर्तन लाया) को प्राथमिकता दी जाएगी।

ii) 20 वर्ष के कुल अनुभव वाले सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर 10 वर्षों का न्यूनतम अनुभव । सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडी/ईडी। भूतपूर्व सीएमडी/ईडी के संबंध में पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नही जाएगा, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। पीएसबी के सेवारत सीएमडी/ईडी को किसी अन्य पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में विचार नहीं किया जाएगा |

iii) 20 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले प्रीमियर प्रबंधन बैंकिंग संस्थानों के अकादमिक निदेशक और प्रोफेसर।

iv) 20 वर्षों के अनुभव (लेखापरीक्षा के अनुभव को छोड़कर) वाले सनदी लेखाकारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

v) हालांकि, योग्यता के आधार पर असाधारण मामलों में वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव मानदंड में रियायत दी जा सकती है।

vi) जहाँ तक संभव हो महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

ग) शिक्षा

एक एनओडी को कम से कम व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता के साथ किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना चाहिए।

घ) आयु

निदेशक की आयु खोज समिति द्वारा सिफारिश की तिथि को 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ङ) कार्य अनुभव

पेशेवर/शिक्षाविदों को सामन्य रूप से अपने विशेष क्षेत्र में 20 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए।

च) अयोग्यताएं

I. किसी बैंक/वित्तीय संस्थान (वित्तीय संस्थानों)/ आरबीआई / बीमा कंपनी में पहले से ही किसी भी श्रेणी के तहत कोई निदेशक पर, किसी भी अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान / आरबीआई / बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

II. किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों, एमपी, एमएलए, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर्स से जुड़े व्यक्तियों को बैंकों / वित्तीय संस्थानों / आरबीआई / बीमा कंपनियों के बोर्ड के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों के निवेशकों को एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यदि वे ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखते हैं।

III. किसी व्यक्ति को बैंक / वित्तीय संस्थानों / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में एनओडी के रूप में पुनः नामांकित नहीं किया जा सकता है, जिस पर उन्होंने किसी भी श्रेणी के तहत पूर्व में दो कार्यकाल या छह वर्ष जो भी अधिक हो, निदेशक के रूप में सेवा की है।

IV. यदि सनदी लेखाकार फर्म वर्तमान में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में संलग्न है, तो उस सनदी लेखाकार फर्म का कोई भी भागीदार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/पीएसबी में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

V. यदि सनदी लेखाकार फर्म वर्तमान में किसी सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में संलग्न है, तो उस सनदी लेखाकार फर्मों में से कोई भी भागीदार उसी बैंक में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होना चाहिए।

छ) कार्यकाल: बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए एनओडी पर विचार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा निदेशक पहले ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार या अनिरंतर रूप से एनओडी/शेयरधारक-निदेशक रह चुके हैं|

ज) व्यावसायिक प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के खंड 10(घ) के तहत **व्यावसायिक** प्रतिबंध का मामला बनाम लाभ के पद की अलग से जांच की जा सकती है।

झ) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व को एक साथ लेकर-देश के सभी छह क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ।

9. शेयरधारकों की सूची

पंजाब नैशनल बैंक के 64 विनियम (शेयर और मीटिंग) विनियम, 2000 में संशोधन के अनुसार प्रदान किए गए, शेयरधारकों की सूची की एक प्रति शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली में कंपनी सचिव के साथ मंगलवार, 23 फरवरी, 2021 से शेयर धारकों द्वारा रु 5/- प्रति 1000 शब्द और उसके भाग और रु 50,000/ में पूर्ण शेयरधारकों की सूची के लिए पंजाब नैशनल बैंक, नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध होगी। उक्त सूची को खरीदने के इच्छुक उम्मीदवारों को एक वचन देना होगा कि चुनाव में सूची का उपयोग मतार्थना में किया जाएगा और किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

10. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में सभी कार्य दिवसों (दूसरे और चौथे शनिवार, रविवार और बैंक की छुट्टियों के अलावा) अर्थात् सोमवार से शुक्रवार और पहले और तीसरे शनिवार को सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच निरीक्षण के लिए शेयरधारकों के रजिस्टर से किसी भी हिस्से के सार लेने के लिए उम्मीदवारों को सक्षम करने के उद्देश्य से खुला रहेगा। अगर किसी भी शेयरधारक को चयनित/भाग जानकारी की एक प्रति या कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता होगी तो, रु. 5 प्रति 1,000/शब्द - या प्रतिलिपि बनाने के लिए भिन्नात्मक भाग की आवश्यकता की दर से भुगतान के लिए उसे उसकी आपूर्ति की जाएगी।

11. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

एक निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार का कोई भी नामांकन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि:

i. पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के विनियमन 65 के संदर्भ में, वह एक शेयरधारक है जिसके पास **शुक्रवार, 19 फ़रवरी, 2021** जो की चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट तिथि / कट-ऑफ तिथि निर्दिष्ट की जा रही है को बैंक के **100 (एक सौ)** शेयर से कम नहीं है, तो बैठक की तारीख तक और उसके बाद यदि वह निर्वाचित होता है तो उसके कार्यकाल के अंत तक, न्यूनतम 100 शेयरों को रखना जारी रखना होता है।

ii. मंगलवार, 02 मार्च, 2021 को, नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होने के नाते, वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 या पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2000 के तहत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है और इसके बाद मास्टर निदेशों के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा "उपयुक्त और उचित" पाया गया है -- भारतीय रिज़र्व बैंक

(पीएसबी के बोर्डों पर निर्वाचित निदेशकों के लिए "उपयुक्त और उचित" मानदंड) दिशा-निर्देश दिनांक 02 अगस्त, 2019, के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर सरकारी निदेशकों के लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 और 08 जुलाई, 2016 या ऐसे अन्य निर्देश जो समय-समय पर निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए जारी किए गए हैं।

iii. कम से कम **100 (एक सौ) शेयरधारकों** द्वारा हस्ताक्षरित वैध नामांकन लिखित रूप में है, जो अधिनियम के तहत या उनके विधिवत प्रतिनिधि द्वारा निदेशकों का चुनाव करने के लिए स्वत्वाधिकारी है, बशर्ते कि शेयरधारक द्वारा एक नामांकन जो एक कंपनी है को उक्त कंपनी के निदेशकों के एक संकल्प द्वारा बनाया जा सकता है और जहाँ ऐसा किया जाता है, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रति प्रमाणित करने के लिए संकल्प की एक प्रति, जिसे पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, शेयर विभाग, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली -110075 में कंपनी सचिव को संबोधित करते हुए बैंक को भेजी जाएगी और इस प्रति को उस कंपनी की ओर से एक नामांकन माना जाएगा।

iv. इस सूचना में दिए गए घोषणा पत्र के नमूना प्रारूप के अनुसार उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा देते हुए कि वह नामांकन स्वीकार करता है तथा वह चुनाव में खड़ा होने का इच्छुक है एवं वह निदेशक होने के लिए अधिनियम या योजना या विनियमों के तहत् योग्य नहीं है तथा उसके द्वारा धारित शेयरों का एरियर वापस नहीं माँगा गया है, वैध नामांकन दिए जाएं | यह पुष्टि करते हुए कि ये विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं, उम्मीदवार के विधिवत हस्ताक्षरित व्यक्तिगत विवरणों (बायोडाटा) तथा उन घटनाओं के संबंध में, जो प्रदान की गई जानकारी से संबंधित घोषणा पत्र देने के पश्चात् घटित होती हैं, यथाशीघ्र बैंक को पूरी जानकारी प्रदान करने का वचन देने के साथ इसे दिया जाएगा |

v. नामांकन प्रपत्र और घोषणा पत्र का प्रोफार्मा इस सूचना में संलग्न किया गया है (प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है: www.pnbindia.in)

12. नामांकन फार्म जमा करना

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से बैंक निदेशक के चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक नोटिस में दिए गए प्रारूप में निम्नलिखित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में, **पंजाब नैशनल बैंक - शेयरधारक निदेशक का चुनाव - 2021,** व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक/ कूरियर के द्वारा **कंपनी सचिव, पंजाब नैशनल बैंक, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, 110075 को संबोधित जमा कराने चाहिए, ताकि किसी भी कार्यदिवस में ईजीएम के लिए तय की गई तारीख से पहले चौदह दिन से पूर्व अर्थात् 02 मार्च, 2021 को 04.00 बजे या उससे पहले प्राप्त हो जाए।**

- विधिवत भरा हुआ घोषणा पत्र;
- चुनाव में भाग लेने के हकदार न्यूनतम सौ शेयरधारकों से वैध नामांकन;
- संबंधित दस्तावेजों, प्रशंसापत्र के साथ नोटिस में संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा और वचनपत्र **जैसेकि बायोडाटा की स्वप्रमाणित प्रतियां, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अनुभव आदि।**

वर्णित नामांकन प्रपत्र और अन्य दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण होने चाहिए, ऐसा न होने की स्थिति में नामांकन खारिज होने के लिए उत्तरदायी हैं।

13. नामांकन और निदेशकों का चुनाव

i) नामांकन की प्राप्ति के लिए नियत तिथि के बाद पहला कार्यदिवस बुधवार 3 मार्च, 2021 को बैंक द्वारा नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसके कारणों को दर्ज करने के बाद खारिज कर दिया जाएगा।

ii) तदोपरांत वैध नामांकन बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) / निदेशक मंडल के द्वारा जांच के योग्य होंगे जैसा कि इस मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशकों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में हो सकता है। जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश और भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध प्रकृति में समान हैं, बैंक उम्मीदवारों के "उपयुक्त और उचित" स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों की सख्ती पर विचार कर सकते हैं।

iii) बैंक नामांकन की जांच के समय या एनआरसी/निदेशक मंडल द्वारा परामर्श के अनुसार उम्मीदवारों से आगे की जानकारी/दस्तावेज मांग सकता है।

iv) जांच के बाद, यदि रिक्ति के लिए केवल एक वैध नामांकन है, तो नामित उम्मीदवार को उसके बाद निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा और समाचार पत्र में प्रकाशन के बाद बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इस तरह के मामले में बुलाई गई असाधारण आम बैठक रद्द हो जाएगी। नवनिर्वाचित निदेशक उस तिथि के अगले दिन पद ग्रहण करेंगे जिस तिथि से उन्हें चयनित माना जाता है।

v) यदि एक से अधिक वैध नामांकन हैं, तो उम्मीदवारों के नाम स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाएंगे और समाचार पत्रों में प्रकाशन के बाद बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और चुनाव ईजीएम में आयोजित किया जाएगा। दूरस्थ ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक में बहुमत के वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा और उसके नाम की घोषणा की जाएगी। नवनिर्वाचित निदेशक उस तिथि के अगले दिन पद ग्रहण करेंगे जिस तिथि से उन्हें चयनित किया जाएगा ।

14. नामांकन वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन कॉपी गुरुवार, 11 मार्च, 2020 शाम 4.00 तक को **कंपनी सचिव, पंजाब नैशनल बैंक, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, द्वारका, नई दिल्ली** को संबोधित hosd@pnb.co.in पर ई-मेल कर ऐसा करने का हकदार होगा ।

15. विवाद

यदि कोई विवाद है, तो वह पंजाब नैशनल बैंक (शेयरों और बैठकों) विनियम, 2000 के विनियमन 67 के अनुसार निपटाया जाएगा।

16. निदेशक को हटाना

शेयरधारकों का ध्यान बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के तहत चुने गए एक निदेशक को हटाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार पर कथित

अधिनियम की धारा 9 (3 बी) के लिए आमंत्रित किया जाता है, जोकि वर्णित अधिनियम की धारा 9 (3 ए) की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करते हैं।

17. निदेशकों की रुचि

बैंक के निदेशकों को उनके हिस्से की सीमा तक व्यवसाय के पूर्वोक्त मद में संबद्ध या रुचि रखने वाला माना जा सकता है।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक
हस्ता/-
एकता पसरीचा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 16.02.2021

Together for the better

क्र०सं०	

नामांकन फॉर्म

(पीएनबी विनियमों का विनियम 65 देखें)

सेवा में,
पंजाब नैशनल बैंक
प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली

प्रिय महोदय,

निदेशक का चुनाव

ईजीएम नोटिस दिनांक _____**2021** के संदर्भ में, मैं,..... पंजाब नैशनल बैंक का एक शेयरधारक जिस के पास शुक्रवार, 19 फरवरी, 2021 अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट / कट-ऑफ तिथि को रु.2/- प्रत्येक (पूर्णतया प्रदत्त) के .....इक्विटी शेयर हैं, इसके द्वारा श्री / श्रीमती.....पुत्र/ पुत्री / पत्नी श्री ..... निवासी .....

.....को बुधवार, 17 मार्च, 2021 को होने वाली शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) में यथा प्रदत्त बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक के चुनाव लड़ने के लिए नामित करता/करती हूँ |

नाम	
हस्ताक्षर	
धारित शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फ़ोलियो नं. (यदि अमूर्तिकृत नहीं है)	
डीपी आईडी सं. एवं ग्राहक आईडी सं. (यदि अमूर्तिकृत है)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियाँ:

1) यदि नामांकन एक कॉर्पोरेट निकाय द्वारा किया जाता है, नामांकन प्रपत्र के साथ निदेशक मंडल द्वारा उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के तहत पारित प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रति होनी चाहिए, जिस में यह पारित किया गया था।
2) उम्मीदवारी को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाने चाहिए।
3) यदि ऊपर के किसी भी कॉलम को खाली छोड़ दिया जाता है या विवरण गलत पाए जाते हैं, तो नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।

Together for the better

उम्मीदवार द्वारा घोषणा

(पीएनबी विनियमों का विनियम 65 देखें)

मैं,.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री / श्रीमती .....निवासी.....,..., _____ .....इसके द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ:

क. मैं एक शेयरधारक हूँ जिसके पास शुक्रवार , 19 फरवरी, 2021 अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट / कट-ऑफ तिथि को बैंक के रु .2 / - प्रत्येक के..... इक्विटी शेयर हैं, और यदि बैंक के निदेशक के रूप में चुना जाता हूँ , तो कार्यकाल के अंत तक इन शेयरों को रखने का वचन देता हूँ;

ख. मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग, या सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों या क्षेत्रों में / भुगतान और निपटान प्रणाली / मानव संसाधन / जोखिम प्रबंधन / व्यवसाय प्रबंधन में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव* है, जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा, और मैं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3A के संदर्भ में जमाकर्ताओं या किसानों , श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हूं और इसके सबूत के रूप में , मैं इसके साथ प्रासंगिक प्रशंसापत्र, प्रस्तुत करता हूं

*जो भी लागू नहीं हो उसे हटाएं

ग. मैं नामांकन संख्या..... स्वीकार करता हूं ।

घ. मैं पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूं

ङ. मैं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के प्रावधानों और मास्टर निर्देश के तहत बैंक का निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूं |

च. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए, और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश,

छ. मैं न तो कोई लाभ का पद धारण करता हूं और न ही मैं किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम , 1959 का/की कर्मचारी हूं।

ज. मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूं;

मैं आगे घोषणा करता हूँ कि:

झ. मुझे किसी भी समय दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या भुगतान नहीं रोका गया है या लेनदारों से मिलीभगत नहीं रही है|

ञ. मुझे मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं पाया गया है या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है तथा दंड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है, जिसमें नैतिक रूप से भ्रष्ट होना शामिल है |

ट. मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है।

ठ. निर्वाचित होने पर बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध, यदि कोई हो, से स्वयं को अलग कर लूंगा तथा निदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान एवं इसके पश्चात् दो वर्षों की अवधि के लिए बैंक के साथ मेरा कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होगा |

ड. मैं किसी बैंक या रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्थान (FI) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक द्वारा धारित एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं हूं|

ढ. मैं किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार देने, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा हुआ नहीं हूँ |

ण. मैंने किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई /बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में किसी भी श्रेणी के तहत् लगातार या अनिरंतर रूप से छः वर्षों के लिए निदेशक के रूप में कार्य नहीं किया है|

त. मैं स्टॉक ब्रोकिंग के कारोबार में नहीं लगा हूं |

थ. मैं संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) के सदस्य के पद पर नहीं हूँ |

द. मैं चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में संलग्न हैं।

ध. मैं ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में ऐसे बैंक के सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षक या समवर्ती लेखा-परीक्षक के रूप में संलग्न है, जिसमें चुनाव हेतु नामांकन दाखिल किया गया है |

न. मेरा पंजाब नैशनल बैंक के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) है और न ही उसे ऐसी गतिविधियों में संलग्न हूँ जिसके परिणामस्वरूप पंजाब नैशनल बैंक के साथ व्यापारिक हित हो सकते हैं ।

प. मेरा किसी बैंक या किसी भी अन्य बैंक द्वारा धारण किए जाने वाले एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है, यदि कोई संबंध होता है तो निर्वाचित होने पर निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पूर्व संबंध समाप्त कर लूंगा|

फ. मैं वचन देता हूँ कि किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूँ तथा मैं किसी भी उधार देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं हूँ |

ब. मैं निदेशक का पद ग्रहण करने से पूर्व (दिनांक 02.08.2019 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के अनुरूप निर्धारित प्रारूप में) में प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ;

भ. मैं उन घटनाओं के संबंध में यथाशीघ्र बैंक को पूरी जानकारी प्रदान करने का वचन देता हूँ जो प्रदान की गई जानकारी से संबंधित घोषणा पत्र देने के पश्चात् होती हैं तथा मैं प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ |

म. मैं यदि निर्वाचित होता हूँ, तो जब तक बैंक के निदेशक के पद पर रहूंगा तब तक सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ|

य. मैं अन्य कंपनियों/बैंकों/अन्य संस्थाओं में अपने वर्तमान डायरेक्टरशिप के साथ-साथ पिछले डायरेक्टरशिप का विवरण नीचे देता हूं:

कंपनी, बैंक, अन्य संस्थाओं के नाम	निदेशक विवरण यथा कार्यकाल , निर्देशन का स्वरुप, अवधि आदि।

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियाँ / शीट जोड़ें)

मैं अपने व्यक्तिगत विवरणों को संलग्न करता हूं जो मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और पूर्ण हैं।

नाम	
हस्ताक्षर	
धारित शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि अमूर्तिकृत नहीं है)	
डीपी आईडी संख्या और ग्राहक आईडी संख्या (यदि अमूर्तिकृत	

है)	
स्थान	
संख्या	

उपरोक्त घोषणा पर मेरे सामने हस्ताक्षर किए गए थे।

र. न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के कोई अधिकारी की मुहर के साथ हस्ताक्षर।

बैंक का नाम: पंजाब नैशनल बैंक

<u>प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा और शपथपत्र</u>

(<u>उचित अनुलग्नकों के साथ</u>)

यहां पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएँ

---------- 2021 को यथा उपयुक्त

प्रत्याशी द्वारा अनुलग्नक के साथ घोषणा और शपथपत्र				
क्र०सं०	विवरण	प्रकट की जाने वाली जानकारी		
I	व्यक्तिगत विवरण			
1.	पूरा नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
2.	पिता का नाम			
3.	लिंग (स्त्री / पुरुष / अन्य)			
4.	वर्तमान पता			
5.	ई-मेल पता और वैकल्पिक ई-मेल पता: एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन नंबर: मोबाइल नंबर:			
6.	राष्ट्रीयता			
7.	जन्म तिथि (dd / mm / yyyy) और इस तिथि तक आयु	- - / - - / - - - - आयु: - - वर्ष - माह - - - दिन		
8.	शैक्षिक योग्यता			
9.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)			
10.	आधार संख्या (वैकल्पिक)			
11.	(क) स्थायी खाता संख्या (पैन)	फ़ाइल करने की	प्रदत्त कर की राशि (रूपए	

	(ख) प्रभार जहां प्रस्तावित निदेशक का कर मूल्यांकन किया जाता है (आयकर अधिकार क्षेत्र) / आयकर सर्कल / वार्ड का नाम और पता (ग) पिछले 3 वर्षों के लिए रिटर्न फ़ाइल करने और करों के भुगतान का विवरण	तिथि | में) | | | | | |
12.	स्थायी पता	
13.	लेखा, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग या सूचना प्रौद्योगिकी / भुगतान और निपटान प्रणाली / मानव संसाधन / जोखिम प्रबंधन / व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित मामलों या क्षेत्रों में से किसी एक या एक से अधिक मामलों के सम्बन्ध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर एक संक्षिप्त आलेख के रूप में विवरण, जिनका भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव , बैंक के लिए उपयोगी होंगे।	
14.	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव पर संक्षिप्त आलेख)	
15.	न्यूनतम दस वर्षों को कवर करने वाला पिछला व्यवसाय, जिसमें काम किये गए संगठनों का पूरा पता, नियुक्ति की तिथि, कार्यमुक्ति की तिथि (कारणों सहित), पदनाम, आदि शामिल हों।	
16.	सनदी लेखाकार के मामले में, निम्नलिखित को इंगित करें: (क) भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (ICAI) की सदस्यता संख्या: (ख) आईसीएआई में पंजीकरण की तिथि: (ग) पंजीकृत फर्म/ फर्मों का नाम और पता:	

<table>
<tr><td></td><td>(घ) वर्तमान में फर्म (फर्मों) या आपके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा (ओं) का विवरण:</td><td></td></tr>
<tr><td>17.</td><td>शाखा और खाता संख्या (बचत / चालू / ऋण खाते) के साथ बैंकर का नाम जहां आप प्राथमिक खाता धारक हैं:</td><td>
<table>
<tr><th>बैंक का नाम</th><th>शाखा</th><th>खाते का प्रकार</th><th>खाता संख्या</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>18.</td><td>आपके द्वारा, जीवनसाथी द्वारा और आपके अव्यस्क बच्चे द्वारा यदि भौतिक या अमूर्त रूप में किसी भी प्रकार से रखी गई शेयरहोल्डिंग का विवरण। (डीमैट / शेयरहोल्डिंग प्रमाणपत्र संलग्न करें)</td><td></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>बैंक के निर्देशन के लिए प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी</td><td></td></tr>
<tr><td>II</td><td colspan="2">प्रस्तावित निदेशक के प्रासंगिक संबंध</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>बैंक से संबद्ध रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई हो (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) तथा कंपनी (परिभाषाओं के विनिर्दिष्ट विवरण) नियम, 2014)</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क) संस्थाओं की सूची, यदि कोई हो, जिसमें आप रुचि रखते हैं (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें) बैंकों / एनबीएफसी / कंपनियों / निगमित निकायों / फर्मों / व्यक्तियों के संघ आदि के नामों का अलग-अलग उल्लेख किया जाना चाहिए।
ख) उन संस्थाओं की सूची, जिनमें आप लाभकारी स्वामित्व रखते हैं [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और साथ ही लागू एमसीए के महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों का सन्दर्भ लें]
ग) ट्रस्टों की सूची जिसमें आपके पास ट्रस्टी का पद है (ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें):</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>3.</td><td>मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिनमें आप बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) “पर्याप्त हित” के अनुसार पर्याप्त हित रखते हैं। (i) किसी व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या अव्यस्क बच्चे द्वारा, उसके शेयर में, चाहे अकेले या सामूहिक रूप से कोई लाभदायक हित रखना है, जिसपर भुगतान की गई राशि, कंपनी की चुकता पूंजी से पांच लाख रुपये या दस प्रतिशत से अधिक हो, जो भी कम हो; (ii) एक फर्म के संबंध में, तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या अव्यस्क बच्चे द्वारा चाहे अकेले या सामूहिक रूप से कोई लाभकारी हित रखना, जो उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा निर्धारित कुल पूंजी का दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है|</td><td><table>
<tr><td>कंपनी / फर्म का नाम</td><td></td></tr>
<tr><td>निगमन का देश</td><td></td></tr>
<tr><td>शेयरों की संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य</td><td></td></tr>
<tr><td>धारित शेयर का कुल अंकित मूल्य</td><td></td></tr>
<tr><td>कुल चुकता पूंजी के % के रूप में शेयरधारिता</td><td></td></tr>
<tr><td>लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % में)</td><td></td></tr>
<tr><td>क्या ईकाई कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 कंपनी है</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>विदेशों में निगमित और भारत में कारोबार करने वाली संस्थाओं को धारिताओं का विवरण।</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या अतीत में आप बोर्ड के सदस्य/ सलाहकार रहे हैं (उस अवधि का ब्यौरा देना जिसके दौरान ऐसा कार्यालय रहा हो/ रहा था)</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>यदि किसी ऐसी संस्था , से जुड़ें हों जो खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधि यां करती हों (संगठन के स्वरुप का उल्लेख किया जाना चाहिए) , तो उसका विवरण दें|</td><td></td></tr>
</table>

7.	यदि किसी स्टॉक ब्रोकर या किसी ऐसी संस्था से संबद्ध हों जो शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों, में संलिप्त हों, उनका विवरण दें|	
8.	निधि और गैर- निधि-आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो , जिनका आपने व्यक्तिगत रूप से तथा/ या उक्त मद सं० II (2) से (7) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा उपभोग किया गया हो।	
9.	ऐसे मामले, यदि कोई हो, जहां एक व्यक्ति के रूप में, आप, या ऊपर बिंदु II (2) और (7) में सूचीबद्ध इकाइयां बैंक या किसी अन्य बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में अतीत में इरादतन चूककर्ता के रूप में चूककर्ता रह चुके हों या घोषित किये गए हों।	
III	**पेशेवर उपलब्धियों के रिकॉर्ड**	
1.	निदेशक पद के लिए प्रासंगिक पेशेवर उपलब्धियां	
IV	**प्रस्तावित निदेशक के विरुद्ध कार्यवाहियां, यदि कोई हों,**	
1.	क) एक पेशेवर संघ / निकाय के सदस्य के रूप में, अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण , यदि कोई है, लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरूप अतीत में दोषी ठहराया गया हो या किसी भी समय किसी भी पेशे / व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, तो उसके विवरण।	
	ख) यदि व्यक्तिगत पेशेवर आचरण या गतिविधियों के बारे में किसी भी लिखित शिकायत या आरोप का विषय है, तो उसका विवरण।	
2.	अभियोजन के विवरण, यदि कोई हो,लंबित या शुरू किया गया या जिसके परिणामस्वरूप अतीत में स्वयं को/ और या आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए उपरोक्त बिंदु II (2) से(7) में	

	सूचीबद्ध किसी भी संस्था के खिलाफ दोषी ठहराया गया हो|	
3.	आपराधिक अभियोजन के विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू या जिसके परिणामस्वरुप दोषी ठहराए गए|	
4.	यदि एएमएल/ सीएफटी दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन में लिप्त हैं, तो उसके विवरण|	
5.	यदि कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 164 के तहत परिकल्पित किसी भी अयोग्यता को आकर्षित करती है, तो उसका विवरण।	
6.	यदि दिवालिया घोषित किया गया है या भुगतान निलंबित किया गया है या लेनदारों के साथ समझौता किया गया है, तो उसका विवरण।	
7.	यदि कोई विकृत मस्तिष्क का पाया जाता है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया जाता है, तो उसका विवरण	
8.	(क) यदि आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक क्रूरता या अन्यथा शामिल है, तो उसका विवरण (ख) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उसका विवरण	
9.	एक पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण करने के अलावा यदि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के तहत कोई भी लाभ का पद रखते हैं, तो उसका विवरण।	
10.	यदि किसी व्यक्ति या ऊपर बिंदु सं॰ II (2) से (7) में किसी भी संस्था के रूप में, पिछले नियोक्ता या सरकारी विभागों या एजेंसी से किसी भी जांच / सतर्कता/मामलों की जांच के अधीन हैं, तो उसका विवरण।	
11.	यदि सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी विनिमय/अन्य राजस्व प्राधिकरण की अपेक्षानुरूप नियमों/विनियमों/संवैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, तो उसका विवरण	

12.	यदि किसी भी नियामक जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, पेशेवर संगठन, सरकारी एजेंसी, या न्यायालय द्वारा किसी व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के कारण निंदा की गई, फटकार लगाई गई , प्रतिबंधित, निलंबित, बाधित, रोक लगाई गई हो, या अन्यथा मंज़ूरी दी गई हो, तो उसका विवरण। (यद्यपि उम्मीदवार के लिए ऐसे आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, जो बाद में पूरी तरह से बदल दिए गए हों/ पूर्णतया रद्द कर दिए गए हों, परन्तु इन्हें ऐसी स्थिति में वर्णित करना आवश्यक होगा जहाँ तकनीकी कारणों जैसे अधिकार क्षेत्र की कमी या सीमित होने के कारण बदला/ रद्द किया गया हो न कि योग्यता के आधार पर| यदि कोई आदेश अस्थायी रूप से रोका गया है तथा अपीलीय न्यायालय की कार्रवाई लंबित है, तो उसका भी वर्णन किया जाना चाहिए।	
V	**सामान्य जानकारी**	
1.	यदि सनदी लेखाकार, वकील आदि जैसे पेशेवर और किसी भी बैंक में वर्तमान में कोई व्यावसायिक कार्य कर रहे / करते हैं, तो बैंक के नाम और बैंक के साथ संबंध की अवधि सहित विवरण प्रदान करें।	
2.	यदि कोई सांसद / एमएलए / एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद धारक है, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
VI	**प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, यदि कोई अन्य सूचना, जो "उपयुक्त और समुचित" का मूल्यांकन करने के लिए सुसंगत हो तो उसका विवरण प्रदान करें|**	

Together for the better

शपथ पत्र

मैं पुष्टि करता हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य एवं पूर्ण है| मैं बैंक को उन घटनाओं के संबंध में पूरी जानकारी यथाशीघ्र प्रदान करने का वचन देता हूँ जो मेरी नियुक्ति के पश्चात् घटित होती हैं जो उपरोक्त प्रदान की गई जानकारी के लिए प्रासंगिक हैं|

बैंक के साथ निष्पादित किये जाने वाले प्रसंविदा विलेख के निष्पादन का भी वचन देता हूँ |

स्थान :

दिनांक : उम्मीदवार का हस्ताक्षर

संलग्नक:

.....

.....

नोट:

जहां भी स्थान पर्याप्त नहीं है, कृपया कालानुक्रमिक क्रम में और उपयुक्त प्रति संदर्भ के साथ अनुलग्नक के रूप में जानकारी संलग्न करें।

प्रत्येक पृष्ठ (अनुलग्नकों सहित) उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है।

स्थान :		
दिनांक:		
एनआरसी/निदेशक मंडल की स्वयं-संतुष्ट टिप्पणियां कि उपरोक्त जानकारी सत्य और पूर्ण है।		
स्थान:		**अध्यक्ष के हस्ताक्षर**
दिनांक:		

Together for the better

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक!

punjab national bank ...the name you can BANK upon!

Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075
(E-mail id: hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank will be held on **Wednesday, the 17th March, 2021 at 11.00 A.M**. **(IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

1. To elect **ONE** Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "**Act**") read with the Banking Regulation Act, 1949 (here in after referred to as "**Banking Regulation Act**"), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "**Scheme**") and the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as "**PNB Regulations**") made pursuant to Section 19 of the Act, and RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019- 20 dated August 2, 2019 (hereinafter referred to as **"RBI Master Directions**" and further amendments thereto, if any) read with Guidelines dated March 25, 2015 and dated July 08, 2016 issued by Government of India for consideration as Non Official Directors in Public Sector Banks (hereinafter referred to as **"GOI Guidelines**" and further amendments thereto, if any) and pass the following resolution:-

   "**RESOLVED THAT one Director** elected from amongst Shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, PNB Regulations, RBI Master Directions and GOI Guidelines, be and is hereby **appointed** as the Director of the Bank to assume office from the day after the declaration of result of election and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank
Sd/-
(Ekta Pasricha)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 16.02.2021

NOTES:

1. In view of the COVID-19 pandemic, social distancing norms are to be followed and pursuant to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 followed by Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") permitting the convening of the Extraordinary General Meeting ("EGM") through VC/OAVM, EGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM Facility which does not require physical presence of members at a common venue. Shareholders attending the EGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of PNB Regulations. The deemed venue for EGM shall be the Head Office of the Bank.

2. **The Explanatory Statement to the agenda item is annexed hereto.**

3. **Appointment of Proxy:** A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. In accordance with the aforesaid relaxations for convening of the EGM through VC/OAVM, physical attendance of shareholders has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by the shareholders is not available for this EGM and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

4. **Appointment of an Authorised Representative:**

   No person shall be entitled to attend the EGM through VC / OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, is provided to the Share Department, Punjab National Bank, East Wing, First Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075 or sent to the Scrutinizer by e-mail to Scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in and hosd@pnb.co.in, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours **i.e. 5.00 p.m. of Friday, the 12th March, 2021**.

   No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.

5. Specified/ Cut-Off Date:

It has been decided to fix **Friday, 19th February 2021** as the Specified/Cut-Off Date for the purpose of determining the Shareholders entitled to participate in the Election i.e. to Nominate, Contest and Vote for the Election of ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government, as mentioned in the Notice.

6. Voting Rights

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended), no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

7. Voting through Electronic Means

I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Listing Agreement with Stock Exchanges and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the EGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the EGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The Cut-Off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is **Friday, 19th February, 2021**.

II. Those shareholders, who will be present in the EGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Election through remote e-voting shall be eligible to vote through e-voting system during the EGM.

III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The instructions for remote e-voting are as follows:

(i) The remote e-voting period begins on **Friday, 12th March, 2021 (9:00 a.m.)** and ends on **Tuesday, 16th March, 2021 (5:00 p.m.)**. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Friday, 19th February, 2021, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

(ii) The details of the process and manner for remote e-voting are explained herein below:

Step 1: The shareholders should log on to the e-voting website https://www.evoting.nsdl.com
Step 2: The shareholders should then cast the vote electronically on NSDL e-voting system.

Details on Step 1 is mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile.

2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon 'Login' which is available under 'Shareholders' section.

3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically. You can use the Mobile App of NSDL.

4. Your User ID details are given below:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	**Your User ID is:**
a) For Shareholders who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID

	For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Shareholders who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12********** then your user ID is 12**********
c) For Shareholders holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:

   a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

   b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will prompt you to change your password.

   c) How to retrieve your 'initial password'?

   (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. **The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form**. **The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.**

   (ii) If your email ID is not registered, please follow the steps under the 'Process for those shareholders whose email ids are not registered' detailed hereinafter.

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

   a) Click on "Forgot User Details/Password?"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option is available on www.evoting.nsdl.com

b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.

d) Shareholders can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to 'Terms and Conditions' by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on 'Login' button.

9. After you click on the 'Login' button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 is mentioned below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.

2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies 'EVEN' in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.

3. Select 'EVEN' of the Bank.

4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.

5. Cast your vote by selecting the candidate of your choice and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted. You cannot select more than one candidate.

6. Upon confirmation, the message 'Vote cast successfully' will be displayed.

7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send a scanned certified true copy of the Board resolution appointing him/her as a duly authorized representative (PDF/JPG Format) with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, by email to the Scrutinizer at Scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in and hosd@pnb.co.in

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries/ grievances connected with the voting by electronic means, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free nos.: 1800-1020-990 and 1800-22-44-30 or send a request to:

   i) Ms. Soni Singh, Astt. Manager, NSDL at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in or SoniS@nsdl.co.in or at telephone number: +91-22-24994559, OR
   ii) Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL at the designated email ID: evoting@nsdl.co.in, pallavid@nsdl.co.in or at telephone number +91 22 24994545.

V. Process for procuring user id and password and registration of email ids for e-voting on the resolution set out in this notice for those shareholders whose email ids are not registered:

   a. Those shareholders, who hold shares in physical form or who have not registered their email address with the Bank and who wish to participate in the EGM or cast their vote through remote e-Voting or through the e-Voting system during the meeting, may obtain the login ID and password by providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back) along with self attested scanned copy of PAN Card to the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank at beetal@beetalfinancial.com

   b. In case shares are held in DEMAT mode, shareholders may obtain the login ID and password by providing DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement

along with self attested scanned copy PAN Card to the Registrar and Share transfer Agent of the Bank at beetal@beetalfinancial.com

8. Video Conferencing (VC) /Other Audio-Visual Means (OAVM)

The Bank will be providing a facility to view the live streaming of the proceedings of the Extraordinary General Meeting (EGM) on the NSDL website. You may access the same at https://www.evoting.nsdl.com by using your remote e-voting credentials. The link will be available in the shareholder login where the EVEN of the Bank will be displayed.

Shareholders may join the EGM of the Bank through VC/OAVM facility, by following the procedure as mentioned in the Notice, which shall be kept open for the shareholders from 10:30 a.m. i.e. 30 minutes before the time scheduled to start the EGM.

Shareholders may note that the VC/OAVM Facility, provided by NSDL, allows participation of at least 1,000 Members on a first-come-first-served basis. The shareholders holding 2% or more of the share capital of the Bank, Promoter, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc. can attend the EGM without any restriction on account of first-come-first-served basis.

I. **The instructions for attending the meeting through VC / OAVM are as under:**

a. Shareholders will be able to attend the EGM through VC/OAVM Facility through the NSDL e-Voting system at https://www.evoting.nsdl.com under shareholders login by using the remote e-Voting credentials and selecting the EVEN for the Bank's EGM. Please note that the shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the Notice to avoid last minute rush. Further, Shareholders can also use the OTP based login for logging into the e-Voting system of NSDL.

b. Shareholders may join the Meeting through Laptops for better experience. Further, the shareholders will be required to use Camera and Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. Please note that shareholders connecting from mobile or tablets or through laptops etc. connecting via mobile hotspot, may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective networks. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

c. Shareholders can raise queries/seek clarification in advance with regard to the agenda to be transacted at the EGM from their registered email address,

mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number by emailing at hosd@pnb.co.in atleast 48 hours in advance before the meeting i.e. by 11:00 a.m. of 15th March, 2021. Shareholders who would like to express their views / raise queries during the EGM with regard to the agenda to be transacted at the EGM, need to register themselves as a Speaker by sending their request from their registered email id mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, by emailing at hosd@pnb.co.in atleast 48 hours in advance before the meeting i.e. by 11:00 a.m. of 15th March, 2021. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/raise queries during the meeting. Shareholders who will participate in the EGM through VC/OAVM can also pose question/feedback through question box option. Such questions by the Members shall be taken up during the meeting or replied within 7 days from EGM date by the Bank suitably.

d. Institutional Investors, who are shareholders of the Bank, are requested to be present in the EGM through VC/OAVM Facility.

II. The instructions for e-voting during the EGM are as under:

a. Shareholders may follow the same procedure for e-Voting during the EGM as detailed above for remote e-Voting.

b. The Shareholders who have cast their vote on the Resolution by remote e-Voting prior to the EGM may also participate in the EGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their vote again.

c. The Helpline details of the persons who may be contacted by the Shareholder needing assistance with the use of technology, before or during the EGM shall be the same as mentioned for remote e-Voting.

9. Scrutinizer

M/s S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co, Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the EGM and the Chairman or a person authorised by him in writing shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

10. OTHER INFORMATION

a) In compliance with the aforesaid SEBI Circulars, the Notice of the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Bank, *inter alia*, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Registrar and Share Transfer Agent (STA) i.e. "Beetal Financial & Computer Services (P) Limited" / Depository Participant(s).

b) Shareholders may also note that the Notice of the EGM is also being made available on the Bank's website www.pnbindia.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com

c) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their Email ids registered with their respective Depository Participant (DP) in case of shares held in demat form and with the Bank's STA in case of shares held in physical form (email id of STA: beetal@beetalfinancial.com). Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the STA in case the shares are held by them in physical form.

d) Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the STA for consolidation into a single folio.

e) As per Regulation 40 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, securities of listed entities can be transferred only in dematerialized form with effect from, 01st April, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to mitigate the risk associated with physical shares and for ease of portfolio management, shareholders holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Shareholders can contact the Bank or Bank's STA for assistance in this regard.

EXPLANATORY STATEMENT

Election of One Shareholder Director

Pursuant to Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board of Directors shall include Directors elected by their Shareholders (other than Central Government) in the General Meeting. The number of such directors to be elected by Shareholders shall be as given hereunder:

- One Director, where public shareholding is not more than sixteen per cent of the total paid-up capital;
- Two Directors where public shareholding is more than sixteen per cent but not more than thirty-two per cent of the total paid-up capital;
- Three directors where public shareholding is more than thirty-two per cent of the total paid-up capital

Subsequent to the issue and allotment of equity shares through Qualified Institutional Placement (QIP) in December 2020, the public shareholding in the Bank has increased from 14.41% to 23.13% and thus the Bank is required to have two Directors elected by the shareholders, other than the Central Government on the Board of the Bank.

Dr. Asha Bhandarkar is presently a Director on the Board representing the Shareholders of the Bank other than the Central Government. With a view to fill in the other vacancy, the Bank proposes to conduct election at the EGM.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in relevant Act / Scheme/Regulations/Notification/Guidelines.

1. Legal Provisions

The relevant extracts / portions of the relevant Act/Scheme/Regulations/Notifications/ Guidelines have been reproduced hereunder:

ACT / SCHEME / REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20	▪ Substantial Interest ▪ Prohibition of Common Directors ▪ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) and Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	▪ Restriction on voting rights ▪ No. of Directors to be elected by the shareholders ▪ Special knowledge in certain fields ▪ No person shall be eligible to be elected as Director unless he is a person having 'fit and proper' status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ▪ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ▪ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	▪ Term of office of elected directors ▪ Disqualifications from being elected as a Director or being a Director of the Bank ▪ Vacation of office of Director ▪ Removal from office of an elected Director ▪ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ▪ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.

Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	▪ Exercise of rights of joint holders ▪ Voting at General Meetings ▪ Directors to be elected at General Meetings ▪ List of Shareholders ▪ Nomination of candidates for election ▪ Scrutiny of nominations ▪ Election disputes ▪ Determination of voting rights ▪ Voting by duly authorized representative ▪ Proxies
RBI ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 - DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02.08.2019 and subsequent amendment(s) thereto	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper Criteria for Elected Directors on the Boards of Public Sector Banks.
Guidelines issued by Government of India for the appointment of Part-Time Non Official Directors dated 25th March, 2015 and subsequent amendments dated 08th July 2016 read with GOI letters dated 28th April 2015 and 20th July, 2016 and amendments thereto, if any.	As per Govt. of India Notification dated 3rd September 2013, these Guidelines are to be kept in mind while carrying out determination of Fit and Proper Status of the Candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.	
RBI Master Circular dated 1st July 2015	Granting loans and advances to relatives of Directors.	
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.	Provisions relating to Independent Director.	

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, the Banking Regulation Act, the Scheme, PNB Regulations as well as RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs dated 02nd August, 2019, as amended and Guidelines issued by Government of India will be made available on the Bank's website www.pnbindia.co.in Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Punjab National Bank through email at hosd@pnb.co.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms i.e. **Tuesday, 02nd March, 2021 by 04.00 p.m.**

2. Participation in Election

Such of those shareholders whose name appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Specified / Cut-off Date i.e., **Friday, 19th February, 2021** shall be entitled to participate i.e., **nominate, contest and vote** in the election of One Shareholder Director from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the EGM as an Observer.

3. Qualifications required for being Elected as a Director of the Bank

i) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall:

A. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely: -

- agriculture and rural economy
- banking
- co-operation
- economics
- finance
- law
- small scale industry
- any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank

[RBI vide its Circular No. DBR.Appt. BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November, 2016 has notified that special knowledge or practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v)

Business Management, would be useful to a banking company, State Bank of India, subsidiary bank and a corresponding new bank (PSBs), as the case may be].

B. represents the interest of depositors; or

C. represents the interest of farmers, workers and artisans

ii) In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should have 'Fit and Proper' status.

iii) In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

iv) Further, the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

4. Disqualifications from being Elected as a Director of the Bank

i) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, a person shall be disqualified for being appointed as, and for being, a Director:

a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or

d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

ii) If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Master Direction - Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 dated 02nd August, 2019 and Govt. of India Guidelines for

Appointment of Part-Time Non Official Directors dated 25th March, 2015 and 08th July 2016 read with Govt. of India Notification dated 3rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any.

5. Tenure

In terms of Clause 9 (4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

6. Master Direction - Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019

The Reserve Bank of India in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 has issued Master Directions on ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs dated 02nd August, 2019 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as Directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition &Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

The Authority, manner/procedure and criteria for deciding the 'fit and proper' status etc. are as under:

i) **Authority**: The Bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee ['the Committee'] consisting of a minimum of three Non-Executive Directors from amongst the Board of Directors, out of which not less than one-half shall be Independent Directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under Section 9(3)(i) of the Act. Further, the GoI Nominee Director and the Director nominated under Section 9(3)(c) of the Act cannot be part of this Committee. The Non-Executive Chairperson of the Bank may be appointed as a member of the Committee but shall not chair such Committee. The quorum of the Committee shall be three, including Chairman.

ii) **Manner and procedure**: The Bank shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format from the persons who file their nominations for election. The Nomination and Remuneration Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. Based on the information provided in the signed declaration, the

Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

iii) Criteria: The Nomination and Remuneration Committee shall determine the 'fit and proper' status of the proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- **Age** – The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.
- **Educational qualification -** The candidate should at least be a graduate.
- **Experience and field of expertise -** The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in Section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated 24th November, 2016.
- **Disqualifications -** In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed under Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980:
  a) The candidate should not be a member of the Board of any Bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other Bank.
  Explanation: *For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.*
  b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a Public Sector Bank. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as Directors if they do not enjoy any managerial control in them.
  c) No person may be elected/ re-elected on the Board of a Bank if he/she has served as Director in the past on the board of any Bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
  d) The candidate should not be engaged in the business of stock broking.
  e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local

bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.).

f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any Nationalised Bank or State Bank of India.
g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.

- **Tenure:** An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.
- **Professional Restrictions –**
  a) The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned Bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that Bank.
  b) The candidate should not be having any professional relationship with a Bank or any NOFHC holding any other Bank.
  c) Provided that a candidate having any such relationship with a Bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Nomination and Remuneration Committee that such relationship with the Bank shall be severed if he is elected as a Director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a Director of the Bank.
- **Track Record and Integrity:** The candidate should not be under adverse notice of any Regulatory or Supervisory Authority/Agency, or Law Enforcement Agency and should not be a defaulter of any lending institution.

iv) The Banks shall obtain from the elected director:

a) a Deed of Covenant executed in the format annexed in prescribed format, before such person assumes office of Director.
b) a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.
c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh declaration and undertaking incorporating the changes.

v) The Banks shall also ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/his firm's clients, and not participating in bank's credit/ investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.

b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.

c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

vi) Where the elected director:

a) fails to

(i) submit the Deed of Covenant or declaration; or

(ii) make proper disclosures; or

(iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or

b) makes incomplete or incorrect disclosures, or

c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above.

such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

7. Govt. of India Notification dated 25th January, 2021

The Govt. of India vide Notification dated 25th January, 2021 amended the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980 by inserting a Special Provision (Clause 14A) which states:

"Where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the bank is required, and if the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing."

In terms of the above the Board of Directors of a Nationalised Bank are empowered to exercise the powers of a Committee of the Board to do any act or thing, or for resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review, which it is required to do by law provided the Board is satisfied that quorum for meeting of such Committee cannot be met on account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof.

8. Govt. of India Guidelines dated 25th March 2015 and 08th July, 2016

As advised by Govt. of India vide its letter dated 3rd September, 2013 the 'Nomination and Remuneration Committee of Board shall keep in mind the Guidelines issued by GOI for Appointment of Non Official Directors (NOD), while determining "Fit and Proper Status" of the Shareholder Director. The GOI has forwarded revised Guidelines dated 25th March 2015 and amendments dated 8th July 2016 to Public Sector Banks vide its letters dated 28th April 2015 and 20th July, 2016, the gist of which is as under:

a) General

i. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.

ii. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

b) Experience

i. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.

ii. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/ EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.

iii. Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.

iv. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.

v. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits.

vi. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

c) Education

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

d) Age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

e) Work Experience

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

f) Disqualifications

i. A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.

ii. Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/Fls/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.

iii. No person may be re- nominated as an NOD on the Board of a Bank/Fl/RBI/ Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

iv. If a Chartered Accountant firm is currently engaged in any Public Sector Bank (PSB) as a Statutory Central Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firm shall be eligible for appointment as NOD in any Nationalised Bank/PSB.

v. If a Chartered Accountant firm is currently engaged in a Nationalised Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firms should be eligible for appointment as NOD in the same bank.

g) Tenure

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/ Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

h) Professional restriction

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

i) Regional Representation

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

9. List of Shareholders

As provided in Regulation 64 of the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended, a copy of the List of Shareholders will be available with the Company Secretary at Share Department, Head Office, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi from **Tuesday, 23rd February, 2021 onwards** for purchase by Shareholders at Rs. 5/- per 1,000 words and part thereof and Rs. 50,000/- for full shareholders' list by Demand Draft in favor of Punjab National Bank payable at New Delhi. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

10. Inspection of Register of Shareholders

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office, New Delhi on all working days (other than Second and Fourth Saturdays, Sundays and Bank Holidays) i.e. from Monday to Friday and first and third Saturdays between 11.00 a.m. to 4.00 p.m. for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders. If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information, the same shall be supplied to him on payment at the rate of Rs.5/- for every 1,000 words or fractional part thereof.

11. Nomination of Candidates for Election

No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless:

i. In terms of Regulation 65 of the Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 he / she is a shareholder holding not less than **100 (One hundred) shares** of the Bank as on **Friday, 19th February, 2021** being the Specified Date/Cut-off Date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.

ii. As on **Tuesday, 02nd March, 2021**, being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and thereafter has been found "Fit and Proper" by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Master Directions - Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions dated 02nd August, 2019, read with Guidelines dated 25th March, 2015 and 08th July, 2016 issued by the Government for Non Official Directors of the Public Sector Banks or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.

iii. The valid nomination is in writing signed by at least **100 (One hundred) shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Bank addressed to the Company Secretary at Punjab National Bank, Head Office, Share Department, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi -110075 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

iv. The valid nominations are to be accompanied by a declaration signed by the candidate as per the specimen form of declaration furnished in this Notice duly signed before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or the Scheme or the Regulations from being a Director and there are no calls in arrears in respect of the shares held by him/her. The same should be accompanied with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the

Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.

v. The proforma of Nomination Form and Declaration Form are annexed to this Notice (The proforma is also available on the Bank's website: www.pnbindia.in)

12. Submission of Nomination Forms

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit the following documents in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope superscribing thereon "**Punjab National Bank - Election of Shareholder Director – 2021,** in person or through Regd. Post / Courier addressed to the **Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Head Office, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, 110075 so as to reach on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the EGM i.e., on or before 04.00 p.m. on 02nd March, 2021**:

- Duly filled in Declaration Form;
- Valid Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the related documents, testimonials, **viz. self attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.**

The said nomination forms and other documents should be complete in all respect failing which the nominations are liable to be rejected.

13. Scrutiny of Nominations and Election of Director

i) Nominations shall be scrutinized by the Bank on **Wednesday, 03rd March, 2021** the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.

ii) Valid Nominations shall then be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee of the Board (NRC) / Board of Directors as the case may be in terms of RBI Directions and Govt. of India Guidelines. As restrictions imposed by RBI Directions and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates.

iii) The Bank may at the time of Scrutiny of Nominations or as advised by the NRC/ Board of Directors seek further information / documents from the Candidates.

iv) After scrutiny, if there is only one valid nomination for the vacancy, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name shall be

informed to the Stock Exchanges and uploaded on the Bank's website followed by publication in the newspapers. In such an event the Extraordinary General Meeting called shall stand cancelled. The newly elected director will assume office from the date following the date on which he is deemed to be elected.

v) If there is more than one valid nomination, the names of the candidates shall be informed to the Stock Exchanges and uploaded on the Bank's website followed by publication in the newspapers and Election will be held at the EGM. The candidate securing the majority of the votes cast through remote E-voting and E-voting at the Meeting will be declared as elected and his/her name will be announced. The newly elected director will assume office from the date following the date on which he is elected.

14. Withdrawal of Nominations

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so by emailing a scanned copy of the signed letter addressed to the **Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Head Office, Dwarka, New Delhi at hosd@pnb.co.in by 04.00 p.m., on Thursday, 11th March, 2021**.

15. Disputes

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000.

16. Removal of a Director

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3)(i) of the said Act, who does not fulfil the requirements of Section 9(3A) of the said Act.

17. Interest of Directors

Directors of the Bank to the extent of their shareholding may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By Order of the Board of Directors
For Punjab National Bank
Sd/-
Ekta Pasricha
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 16.02.2021

Together for the better

Sr. No.	

Nomination Form

(Refer Regulation 65 of the PNB Regulations)

To,

Punjab National Bank
Head Office, New Delhi

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference to EGM Notice dated **16.02.2021**, I,…… a shareholder of Punjab National Bank holding …… equity shares of Rs.2/- each (fully paid-up) as on Friday, 19th February, 2021 i.e., the Specified / Cut-off Date for participating in the Election, do hereby nominate
Shri/Smt…….. son / daughter / wife of……. residing at …….
…… for contesting election of a Director of Punjab National Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Wednesday, 17th March, 2021.

Name

Signature

Number of shares held

Regd. Folio No.
(if not dematerialized)
DP ID No. & Client ID No.
(If dematerialized)
Place
Date

Notes:

1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
3) If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

Together for the better

Declaration by the Candidate

(Refer Regulation 65 of the PNB Regulations)

I, ……..son/daughter/wife of Shri/Smt. ……resident of …….. hereby confirm that:

a. I am a shareholder holding …… equity shares of Rs.2/- each of the Bank on 19th February, 2021 i.e., the Specified /Cut-Off Date for participating in the elections, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;

b. I have special knowledge or practical experience* in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, or in matters or areas relating to Information Technology /Payment & Settlement Systems / Human Resources / Risk Management / Business Management, the special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials,

   **Delete whichever is not applicable*

c. I accept the nominations numbering …….

d. I am willing to contest for the election of Director of Punjab National Bank;

e. I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 and Master Directions issued by RBI, and Guidelines issued by Govt. of India with regard to Non-Official Directors of Public Sector Banks,

f. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

g. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013;

I further declare that:

h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have been compounded with the creditors.

i. I have not been found to be of unsound mind and have not been so declared by a competent court and have not been convicted by competent court and have not been convicted by a criminal court for an offence which involves moral turpitude or otherwise

j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court

k. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter.

l. I am not a member of the Board of any Bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other Bank.

m. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities.

n. I have not served as Director in the past on the board of any Bank/FI/ RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

o. I am not engaged in the business of stock broking.

p. I am not holding the position of a Member of Parliament or State legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.).

q. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any Nationalised Bank or State Bank of India.

r. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Punjab National Bank in which nomination for election is filed.

s. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Punjab National Bank nor am I engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Punjab National Bank.

t. I am not having any professional relationship with a Bank or any NOFHC holding any other bank and undertake to sever the relationship, if any, with the Bank if elected before assuming charge as a Director.

u. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.

v. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI Master Directions dated 02.08.2019) before assuming office as a Director;

w. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants.

x. I undertake to comply with relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as Director of the Bank, if elected.

y. I give below the details of my present as well as past directorship in other Companies/ Banks/ other entities:

Name of the Company, Bank, other entities	**Directorship details viz., tenure, nature of directorship, period, etc.**

(add additional rows / sheets if necessary)

z. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects.

Name	
Signature	
Number of shares held	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

_____

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank.

Name of the Bank: Punjab National Bank

Declaration and Undertaking by a Proposed Director

(with appropriate enclosures)

Affix passport size photo here

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on ……2021

Sr. No.	Particulars	Information Disclosed
I	**Personal details**	
1.	Name in full	First Name / Middle Name / Last Name
2.	Father's Name	
3.	Gender (M/F/Others)	
4.	Present Address	
5.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:	
6.	Nationality	
7.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age as on date	- - / - - / - - - - Age: - - years - - months - - - days
8.	Educational Qualifications	
9.	Director Identification Number (DIN)	
10.	Aadhaar Number (optional)	

<table>
<tr><td>11.</td><td>(a) Permanent Account Number (PAN)
(b) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction) / name and address of Income Tax Circle/Ward
(c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years</td><td><table><tr><th>Date of filing</th><th>Amount of tax paid (INR)</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>Permanent Address</td><td></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, or in matters or areas relating to Information Technology /Payment & Settlement Systems / Human Resources / Risk Management / Business Management, the special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank.</td><td></td></tr>
<tr><td>14.</td><td>Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)</td><td></td></tr>
<tr><td>15.</td><td>Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.</td><td></td></tr>
<tr><td>16.</td><td>In case a Chartered Accountant, indicate the following:
(a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):
(b) Date of registration with the ICAI:
(c) Name and Address of the registered firm/s:
(d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>17.</td><td>Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:</td><td><table><tr><th>Name of the Bank</th><th>Branch</th><th>Type of A/c</th><th>A/c Number</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>18.</td><td>Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child.
(attach demat/shareholding certificate)</td><td></td></tr>
<tr><td>19.</td><td>Any other information relevant to Directorship of the Bank</td><td></td></tr>
<tr><td>II</td><td colspan="2">Relevant Relationships of proposed director</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>List of Relatives (Refer Section 2(77) of Companies Act, 2013 and Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014) if any, who are connected with any bank:</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>a) List of entities, if any, in which you are interested (Refer Section 184 of the Companies Act, 2013) Names of the banks/ NBFCs/ companies/ bodies corporate/ firms / association of individuals etc. should be mentioned separately.
b) List of entities in which you hold beneficial ownership [Section 89 of the Companies Act, 2013 and also refer to applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]
c) List of Trusts in which position of Trustee is held by you (also mention any other relationship with reference to a trust):</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>List of entities, existing and proposed, in which you are holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949.
“Substantial Interest” (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten</td><td><table><tr><td>Name of the company / firm</td><td></td></tr><tr><td>Country of incorporation</td><td></td></tr><tr><td>Number of shares</td><td></td></tr><tr><td>Face Value of each share</td><td></td></tr><tr><td>Total face value of share holding</td><td></td></tr><tr><td>Shareholding as % of</td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

	percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;	*total Paid up Capital*	
		Beneficial interest (in value as well as % terms)	
		Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013	
4.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.		
5.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past you are a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held)		
6.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.		
7.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof		
8.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed at Point II (2) to (7) above.		
9.	Cases, if any, where as an individual, you, or the entities listed at Point II (2) to (7) above have defaulted or declared as wilful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank or any other Bank.		
III	**Records of Professional Achievements**		
1.	Professional achievements relevant for the directorship.		

IV	**Proceedings, if any, against the proposed director**	
1.	a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry of at any profession/occupation at any time, details thereof.	
	b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.	
2.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self and/or against any of the entities listed at Point II (2) to (7) above for violation of economic laws and regulations	
3.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
4.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
5.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
6.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
7.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof	
8.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof (b)) If convicted by any Court of law, details thereof.	
9.	If holding any office of profit under any Nationalised bank or State Bank of India,	

	except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
10.	If as an individual or any of the entities at Point II (2) to (7) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
11.	If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof	
12.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. (*Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).*	
V	**General Information**	
1.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
2.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or	

	Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
VI	**In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper' provide details thereof**	

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the Deed of Covenant required to be executed with the Bank.

Place :
Date : Signature of Candidate

Enclosures:

……
……

Note:

Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.

Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Place :		
Date:		
Remarks of NRC / Board of Directors of having satisfied itself that the above information is true and complete.		
Place:		**Signature of the Chair**
Date:		



Together for the better